उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–6

संख्या– 633 /77–6–2019–एल0सी0–02/18

लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019 मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या–580/77–6–19–एल0सी0–02/18, दिनांक 13–08–2019 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2– अतः "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019" के कियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं:–

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019 के कियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली

2. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.1 यह नियमावली **"उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019 के कियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली "** कहलाएगी।

1.2 यह नियमावली दिनांक 12.08.2024 तक अथवा उस अवधि तक प्रभावी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नही किया जाता है।

1.3 यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

2. परिभाषायें:

2.1 **"नीति"** का तात्पर्य इस नियमावली में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019**से है।**

2.2 **"छूट की अधिकतम सीमा"** नीति के अन्तर्गत परिभाषित परियोजनाओं हेतु प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट आदि समस्त प्रोत्साहन परिभाषित इकाइयों द्वारा किए गए स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत् की सीमा तक होंगे तथा वार्षिक अधिकतम सीमा स्थाई पूंजी निवेश की 15 प्रतिशत् होगी।

2

2.3 **"स्वीकार्यता की तिथि"** का तात्पर्य नीति के अन्तर्गत सुविधाओं के आहरण के प्रयोजनार्थ उस तिथि से है जिस पर नीति के अन्तर्गत परिभाषित लॉजिस्टिक पार्क/परियोजनाओं द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार पात्र पूँजी निवेश की न्यूनतम सीमा प्राप्त कर स्थापित किया जा चुका हो।

2.4 **"कट ऑफ तिथि"** का तात्पर्य निवेश को प्रारम्भ किए जाने की उस तिथि से है जिसका विकल्प आवेदक द्वारा चुना गया हो।

2.5 **"प्रभावी अवधि"** का तात्पर्य दिनांक 13.08.2019 से इस नियमावली के राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा निरसन की तिथि तक की अवधि से है।

2.6 **"पात्र पूँजी निवेश"** का तात्पर्य ऐसे पूँजी निवेश से है जो किसी इकाई द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार, पात्र निवेश की अवधि के भीतर किया गया हो।

2.7 **"कर्मचारियों"** का तात्पर्य औद्योगिक उपक्रम के वेतन–पत्रक (पे–रोल) पर सभी कर्मचारी/कर्मी से है।

2.8 **"अपात्र पूँजी निवेश"**

निम्नलिखित को पूँजी निवेश की गणना में नही सम्मिलित किया जाएगाः

8. कार्यशील पूँजी
9. गुडविल
10. रायल्टी
11. प्रिलिम्नरी व प्रिऑपरेटिव व्यय
12. ब्याज जिसे कैपिटलाइज किया गया है
13. स्वयं उपयोग के अलावा विद्युत उत्पादन
14. तकनीकी कार्यज्ञान (knowhow) शुल्क/परामर्शी शुल्क

2.9 **"औद्योगिक उपक्रम"** का तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो किसी ऐसी संस्था के स्वामित्व में हो जो कम्पनी, साझेदारी फर्म, (जिसमें एल.एल.पी., सोसाइटी, न्यास, औद्योगिक सहकारिता समिति, अथवा स्वामित्व फर्म सम्मिलित हैं) के रूप में गठित हो, एवं जो सामग्री के निर्माण, उत्पादन, प्रौद्योगिकी अथवा ठेके के कार्य में प्रवृत्त हो अथवा प्रवृत्त होना प्रस्तावित कर रही हो। औद्योगिक उपक्रम में वे उद्यम भी सम्मिलित होंगे जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है।

ऐसे औद्योगिक उपक्रम जोकि प्रतिबंधित उद्योगों की सूची में अधिसूचित किए गये हैं, सुविधाओं हेतु अपात्र होंगे।

2.10 **"सहायक अवस्थापना सुविधाओं"** से तात्पर्य इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग परिक्षेत्र/पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं यथा– आन्तरिक सड़क मार्ग, संचार सुविधाएं, खुला तथा हरित स्थान, जल आपूर्ति तंत्र (वाटर पाइप–लाइन्स), सीवेज एवं ड्रेनेज प्रणाली, डिस्पोज़ल सुविधाएं,विद्युत वितरण व्यवस्था की स्थापना, फीडर,सौर ऊर्जा पैनल्स इत्यादि से है।

2.11 **"विभाग"** से तात्पर्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग से है।

2.12 ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का तात्पर्य उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है, जो उ. प्र. औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के अधीन एक शासन–नियंत्रित प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है।

2.13 **"नोडल संस्था"**का तात्पर्य ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है। इस प्रयोजनार्थ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एक सेल गठित कर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

2.14 **"अकुशल कर्मियों"** का तात्पर्य उपक्रम के वेतन–पत्रक पर अकुशल कर्मियों से है।

2.15 **"निजी विकासकर्ता"** का तात्पर्य ऐसे औद्योगिक संगठन/उद्यम से है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था–एस.पी.वी. (Special Purpose Vehicle) (अथवा इसी प्रकार के समान/प्रतिस्थापन अधिनियम/विधि, जो नीति की वैधता अवधि में समय–समय पर प्रचलित हों) के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा पार्क की स्थापना हेतु गठित किया गया हो।

2.16 "**प्रथम् क्रेता**" का तात्पर्य ऐसी विशिष्ट पृथक इकाइयों से है जो पार्क में स्थित भूखण्ड को प्रथम् बार विकासकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से क्रय करती हैं।

2.17 "**वित्तीय संस्था**" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय संस्थाओं से है जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो, अथवा कोई अनुसूचित बैंक हो (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त)।

2.18 "**प्राधिकार प्राप्त समिति**" का तात्पर्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति से है।

2.19 **"सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट अथॉरिटी)"** से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी (अथॉरिटी) से है, जिनके द्वारा मानचित्र को अनुमोदित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (अथॉरिटी) उपलब्ध न हो तो नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा।

2.20 **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)** का अभिप्राय उन समस्त मोटर–वाहनों (ऑटोमोबाइल्स) से है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के उपयोग से बैटरी, अल्ट्रा–कैपेसिटर्स अथवा फ्यूल सेल्स से चालित हों। इसमें समस्त 2–व्हीलर, 3–व्हीलर एवं 4–व्हीलर हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचवीवी), इलेक्ट्रिक व्हीकिल–इन–प्लग (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) सम्मिलित हैं।

2.21 **इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी** का अभिप्राय उपरोक्त परिभाषित इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोगार्थ समस्त ऊर्जा भण्डारण तंत्रों से है। इसमें लिथियम आयन बैटरी, निकल मेटल हाईड्राइड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, अल्ट्रा–कैपेसिटर तथा फ्यूल सेल्स (डायरेक्ट मेथनॉल,

अल्कलाइन, फॉस्फोरिक एसिड, मोल्टन कार्बोनेट, सॉलिड ऑक्साइड एवं रिवर्सिबल फ्यूल सेल्स सम्मिलित हैं)।

2.22 **इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां/ यूनिट्स (ईवीएमयू)**–इस नीति के अन्तर्गत (अनुच्छेद 2.3.1 में) परिभाषित इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्यूफैक्चरिंग करने वाले समस्त विनिर्माण उद्यम इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों एवं रियायतों के लिए पात्र होंगे।

2.23 **इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग अथवा एसेम्बली इकाइयां/यूनिट्स (ईबीयूज़)**–इस नीति के अन्तर्गत (अनुच्छेद 2.3.2 में) परिभाषित इलेक्ट्रिक बैटरी अथवा फ्यूल सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले समस्त विनिर्माण उद्यम इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों एवं रियायतों के लिए पात्र होंगे।

2.24 **सेवा प्रदाता इकाइयां**–ऐसी इकाइयां जो 2–व्हीलर, 3–व्हीलर, कारों, बसों एवं 4–व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को तीव्र/मंद–गति से चार्जिंग अथवा बैटरी प्रतिस्थापन/बदलने वाले(Swapping) स्टेशनों की सुविधा प्रदान करती हों। इस नीति के अन्तर्गत बैटरी को पुनरावर्तित करने वाली इकाइयां (Battery recycling units) भी सेवा प्रदाता इकाइयां मानी जाएंगी।

2.25 **डिस्कॉम** का अभिप्राय उत्तर प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों से है। इसमें पाँच डिस्कॉम्स सम्मिलित हैं, यथा–पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि., पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.।

2.26 **मेगा एंकर परियोजना** एक एकीकृत परियोजना होगी, जिसमें ईवी पावरट्रेन असेंबली, प्रेस शॉप, बॉडी शॉप, ईवी बैटरी एसेंबली अथवा फ्यूल सेल एसेंबली, एसेंबली लाइन, पेंट शॉप इत्यादि होगी। परियोजना में या तो स्वयं या कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम मार्ग से एक ही परियोजना स्थल पर न्यूनतम् रु. 1000 करोड़ का निवेश होना चाहिए तथा इसके द्वारा स्थापना के 3 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम रु. 200 करोड़ के निवेश से आनुषांगिक/सहायक (Ancillary) इकाइयों को स्थापित करवाना होगा।

2.27 एंकर इकाइयां

एंकर ईवीएमयू	भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (ओईएम), जो इस नीति में परिभाषित इलेक्ट्रिक वाहनों की डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग हेतु न्यूनतम रु. 500 करोड़ का निवेश करते हैं एवं न्यूनतम 10 विक्रेता (वेण्डर) इकाइयों को उसी क्लस्टर में स्थापित करवाते हैं।
एंकर ईबीयू	भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (ओईएम), जो इस नीति में परिभाषित इलेक्ट्रिक बैटरी अथवा फ्यूल सेल्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग अथवा एसेम्बली हेतु न्यूनतम रु.300 करोड़ का निवेश करते हैं एवं न्यूनतम 10 विक्रेता (वेण्डर) इकाइयों को उसी क्लस्टर में स्थापित करवाते हैं।

2.28 **विक्रेता इकाइयां (वेण्डर यूनिट्स) (ईवीएमयू/ईबीयू)**–ऐसी इकाइयां, जो उसी क्लस्टर में स्थापित की गई हों, जिसमें एंकर ईवीएमयू अथवा एंकर ईबीयू स्थापित हों तथा विक्रेता इकाई अपने अंतिम उत्पाद का न्यूनतम 50 प्रतिशत् एंकर इकाई को सप्लाई करती हो।

2.29 वृहद् परियोजनाएं

वृहद् ईवीएमयू	• बुन्देलखण्ड क्षेत्र में न्यूनतम रु. 200 करोड़ का स्थिर पूंजी निवेश अथवा न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों का सृजन। • शेष उत्तर प्रदेश में न्यूनतम रु. 300 करोड़ का स्थिर पूंजी निवेश अथवा न्यूनतम 1500 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों का सृजन (बुन्देलखण्ड को छोड़ कर)।
वृहद् ईबीयू	रु. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक का स्थिर पूंजी निवेश अथवा न्यूनतम 1200 प्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों का सृजन

2.30 **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां**–उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई अधिनियम 2006 (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसएमई की परिभाषा का अनुकरण करेगी, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017 के अन्तर्गत अनुमन्य है। यह नीति ऐसी एमएसएमई इकाइयों हेतु प्रोत्साहनों को निर्दिष्ट करती है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र के भाग के रूप में पूर्ज़ों/उपकरणों तथा अंतिम उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग करती हैं। ये इकाइयां ईवीएमयू एवं/अथवा ईबीयू दोनों के लिए आपूर्तिकर्ता हो सकती हैं, अथवा मरम्मत व अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने वाली सेवा इकाइयां हो सकती हैं।

2.31 **अल्ट्रा/मेगा बैटरी संयंत्र**—रु. 1000 करोड़ के न्यूनतम निवेश से पुनरावर्तित सुविधाओं (Recycling facilities) से एकीकृत बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग करने हेतु स्थापित ऐसे संयंत्र, जिनका वार्षिक उत्पादन 01 गीगावॉट–घण्टे (जीडब्ल्यूएच) अथवा उससे अधिक हो अथवा फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग करने हेतु स्थापित ऐसे संयंत्र, जिनका वार्षिक उत्पादन 1.5 गीगावॉट–घण्टे (जीडब्ल्यूएच)अथवा उससे अधिक हो।

3. नीतिगत् ढांचा

3.1इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मैन्यूफैक्चरिंग परिक्षेत्र/ पार्क—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को ईवी मैन्यूफैक्चरिंग व ईवी बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग (ईवी सेल, इत्यादि सहित) के केन्द्र (हब) के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने की परिकल्पना की गई है। इस दिशा में मैन्यूफैक्चरिंग परिक्षेत्र तथा पार्कों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो अपशिष्ट निस्तारण, सीवेज उपचार, परीक्षण सुविधाओं इत्यादि सहित सामान्य अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित होंगे।

3.2 **ईवी मोबिलिटी**—प्रदेश के 10 नगरों, यथा– नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर तथा वाराणसी को आदर्श इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ईएम) नगर घोषित किया जाएगा, जहां ईवी, चार्जिंग तथा हाईड्रोजन रिफ्यूलिंग सुविधाओं एवं ईवी पारिस्थितिकी के अनुकूल बिल्डिंग कोड्स को चरणबद्ध रूप से अंगीकृत करने के लक्ष्य निर्धारित होंगे। प्रथम् चरण में नवीन मोबिलिटी से संबंधित कार्यवाही के बिन्दुओं के वर्ष 2020 तक क्रियान्वयन हेतु नोएडा पायलट नगर होगा। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र में कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पॉन्सिबिलीटी (सीएसआर) के अन्तर्गत प्रस्तावों का समर्थन करेगी।

3.3 **इलेक्ट्रिक वाहन व्यवस्था संक्रमण/परिवर्तन (Transition to EVs)**—आंतरिक दहनशील ईंधन से चालित वाहनों से ईवी वाहनों में परिवर्तन प्रक्रिया के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (एचईवी) को प्रोत्साहित करेगी तथा राज्य में एचईवी की मांग में वृद्धि को बढ़ावा देगी।

3.4 **संक्रमण चरण में हाईब्रिड ईवी (एचईवी)**—एचईवी आंतरिक दहन इंजन प्रणाली (आईसीई) एवं विद्युत मोटर प्रणोदन(Propulsion)

प्रणाली से संयोजित वाहन होते हैं। एचईवी का उपयोग न केवल पर्यावरण में वायु प्रदूषण को कम करता है अपितु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी सहायक होता है। अतः प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक राज्य में संक्रमण चरण की अवधि में एचईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी ताकि ईवी द्वारा आईसीई वाहनों प्रतिस्थापित की जाने वाली प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। तत्पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा संक्रमण–प्रक्रिया को निर्बाध बनाने एवं प्रदूषण को कम करने हेतु फ्यूल सेल आधारित वाहनों के उपयोग को बढावा दिया जायेगा। संक्रमण चरण में, प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन तथा माल परिवहन में ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।

3.5 **सार्वजनिक परिवहन**–सार्वजनिक परिवहन हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में वर्ष 2030 तक चरणबद्ध रूप से 1000 ईवी बसें प्रयुक्त की जाएंगी। वर्ष 2020 तक प्रथम् चरण में 25 प्रतिशत्, वर्ष 2022 तक द्वितीय चरण में शेष 35 प्रतिशत् तथा वर्ष 2030 तक तृतीय चरण में अवशेष 40 प्रतिशत् बसों को प्रयुक्त किया जाएगा। इस संदर्भ में 10 आदर्श ईएम नगरों (इस नीति के अनुच्छेद 3.2) में हरित मार्गों को बढ़ावा दिया जाएगा, इन मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन में 70 प्रतिशत् ईवी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सरकारी निगमों, परिषदों तथा सरकारी एम्बुलेंस इत्यादि के अधीन समस्त सरकारी वाहनों को के सभी रूपों को वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

3.6 **निजी परिवहन**–कम दूरी की यात्रा हेतु प्रदेश सरकार 2–व्हीलर ईवी टैक्सियों के उपयोग को बढ़ावा देगी तथा कैब्स, स्कूल बसों/ वाहनों, एम्बुलेंस इत्यादि में विद्युत प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। इसके अतिरिक्त 10 आदर्श ईएम नगरों में परिवहन के इन माध्यमों में वर्ष 2024 तक 50 प्रतिशत् इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

3.7 **माल परिवहन**–प्रदेश सरकार माल परिवहन में ईवी को अपनाए जाने को बढ़ावा देगी तथा आदर्श ईएम नगरों (नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी आदि) में माल ढुलाई के 3–व्हीलर व 4–व्हीलर मिनी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करेगी। इन 10 आदर्श नगरों में प्रदेश सरकार वर्ष 2024 तक माल परिवहन हेतु 50

प्रतिशत् ईवी के उपयोग को लक्षित करेगी तथा वर्ष 2030 तक समस्त नगरों में ईवी का उपयोग किया जाएगा।

अंत में, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में ईवी बैटरी तथा चार्जिंग उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार हाइड्रोजन–पावर्डफ्यूल सेल तथा सौर ऊर्जा सेल्स के विनिर्माण को एक वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रोत्साहित करेगी।

3.8 चार्जिंग अवस्थापना सुविधाएं–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चार्जिंग अवस्थापना सुविधाओं को राज्य में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य (Viable) व्यवसायिक उद्यम के रूप में विकसित किया जाएगा।

3.9 राज्य में 'चार्जिग अवस्थापना सुविधाओं'की स्थापना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी।

3.10 विद्युत वितरण कम्पनियां (डिस्कॉम) सरकारी भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में तीव्र एवं मंद–गति चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने में निवेश करेंगी। ये चार्जिंग प्वाइंट सरकारी तथा निजी वाहन, दोनों के लिए सुलभ होंगे। डिस्कॉम 10 आदर्श ईएम नगरों में से प्रत्येक नगर में 100 डीसी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनायेंगे।

3.11 चार्जिग अवस्थापना सुविधाओं को सार्वजनिक भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों में विकसित किया जाएगा तथा चार्जिंग आउटलेट व नियमित विद्युत आपूर्ति इत्यादि स्थापित करने के प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) डिपो, बस टर्मिनलों एवं बस स्टॉप में चार्जिंग स्टेशन होंगे। सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होंगे।

3.12 इसके अतिरिक्त अधिक घनत्व वाले प्रमुख राजमार्गों, यथा– यमुना एक्सप्रेस–वे एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे तथा प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे पर ईवी मोबिलिटी को बढावा देने के लिए प्रत्येक 50 किमी. पर तीव्र चार्जिंग स्टेशन, बैटरी प्रतिस्थापन/बदलने की अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.13 प्रदेश में नये अर्पाटमेंट, ऊँची इमारतों एवं टेक्नोलॉजी पार्कों को ईवी चार्जिंग की अवस्थापना सुविधाओं को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे समस्त कॉमर्शियल काम्प्लेक्सेज़, आवासीय सोसाइटीज़ तथा आवासीय टाउनशिप्स, जिनका निर्मित क्षेत्र 5000 वर्गमीटर अथवा अधिक होगा उनको नवीन अनुमति प्राप्त करने हेतु उनके परिसर में चार्जिंग स्टेशन का होना अनिवार्य होगा।

3.14 इस संदर्भ में ऊर्जा विभाग, यूपीईआरसी पहले से ही कम लागत वाली ईवी चार्जिंग की सुविधा के लिए विशेष पावर टैरिफ नीति की योजना बना रहा है। नॉन पीक आवर्स (Non-peak hours) में ईवी को सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु टाइम–ऑफ–डे (Time of day) विद्युत विक्रय की दर को माना जाएगा, तथापि प्रदेश सरकार ईवी बैटरियों के निस्तारण हेतु एक रणनीति विकसित करेगी तथा बैटरी निस्तारण में संलग्न कम्पनियों को बढ़ावा देगी।

3.15 **ईंधन (फ्यूल) आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास**–चूंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य परिवहन प्रणाली को प्रदूषण–मुक्त करना है, अतः विद्युत के पारंपरिक स्रोतों अथवा प्रदूषण युक्त बैटरी पर ईवी की निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है।एक स्थायी दृष्टिकोण के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।

इसलिए इलेक्ट्रिक हाईब्रिड कारों के लिए संक्रमण चरण में प्रदेश सरकार द्वारा मेथानॉल फ्यूल सेल के उपयोग को बढावा दिया जाएगा। लिथियम बैटरी के खतरों को दूर करने हेतु प्रदेश सरकार का हाईड्रोजन संचालित फ्यूल सेल तथा सौर–ऊर्जा वाले सेल्स के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देगी। निजी विकासकर्ताओं को हाईड्रोजन स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी इकाइयों/यूनिट्स (ईबीयूज़) तथा सेवा प्रदाता इकाइयों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

3.16 **बैटरी पुनरावर्तन (रिसाइक्लिंग) पारिस्थितिकी तंत्र**–ईवी मोबिलिटी में विस्तार से बैटरी रिसाइक्लिंग क्षेत्र में निश्चित रूप से विस्तार होगा। प्रदेश सरकार इस नीति के माध्यम से इलक्ट्रिक कार बैटरियों के उत्पादन से प्रारम्भ कर निस्तारण तक प्रबन्धन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करेगी। इससे बैटरी की उपयोगी अवधि के अंत तक तथा उसके उत्पादन के दौरान हानिकारक तत्वों को अपशिष्ट धारा में प्रवेश नहीं हो सकेगा। इसलिए यह नीति गलाने

(Smelting), प्रत्यक्ष पुनर्प्राप्ति अथवा मध्यवर्ती प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाली बैटरी रिसाइक्लिंग इकाइयों को प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश सरकार राज्य में ईवी निर्माताओं को रिसाइक्लिंग सर्विस आउटलेट स्थापित करने तथा क्षेत्रीय रिसाइक्लिंग सिस्टम बनाने के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों तथा स्क्रैप व्यापारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

3.17 अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)–ईवी प्रौद्योगिकी अभी परिपक्वता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, अतः राज्य में कम लागत वाली तकनीक, स्मार्ट डिजाइन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा–जगत, उद्योग तथा अन्य हित धारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इस नीति का आशय बैटरी प्रौद्योगिकी, चार्जिंग हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा प्रमाणीकरण एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना है। राज्य में ईवी में स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी के विकास पर आधारित अनुसंधान एवं विकास के पारिस्थितिकी तन्त्र को बढ़ावा दिया जायेगा।

3.18 स्टार्ट–अप एवं नवाचार (Innovation)–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में ईवी मैन्युफैक्चरिंग तथा सुसंगत प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्ट–अप एवं नवाचार पर बल दिया जायेगा। अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अथवा ईवी पर प्रगतिशील बिज़नेस मॉडल्स को सहायता प्रदान करने वाले इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संदर्भ में स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने के लिए तत्समय प्रचलित उ. प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत स्थापित की गई निधि का उपयोग किया जायेगा।

3.19 लॉजिस्टिक इकाईयों की परिभाषा

मंद–गति चार्जिंग	न्यूनतम रु. 25 लाख के पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) से स्थापित, 10–50 किलोवॉट विद्युत स्तर पर प्रति घण्टा 15 किमी से अधिक किन्तु 80 किमी से कम चार्जिंग रेंज प्रदान करती हों।
तीव्र–गति चार्जिंग	न्यूनतम रु. 50 लाख के पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) से स्थापित, 50–150 किलोवॉट विद्युत स्तर पर प्रति आधा घण्टा 80 किमी से अधिक चार्जिंग रेंज प्रदान करती हों।
प्रतिस्थापन (Swapping) स्टेशन	न्यूनतम रु. 20 लाख के पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) से स्थापित, एक नगर में न्यूनतम पाँच पृथक स्थानों पर बैटरी प्रतिस्थापन (Swapping),मरम्मत तथा अनुरक्षण की एकीकृत सेवाएं प्रदान करता हो।

3.20 नीति के अन्तर्गतइलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग तथा सेवा इकाईयों हेतु निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाली इकाइयों को प्रदेश में 'उद्योग' का दर्जा प्रदान किया जाएगा एवं इसको औद्योगिक क्रिया (एक्टिविटी) मानी जायेगी।

3.21 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा पात्रता शर्तें एवं दर निर्धारित की जाएंगी।

4. वित्तीय प्रोत्साहन

4.1 इलेक्ट्रिक वाहन व बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों (ईवीएमयू व ईबीयू) हेतु–

4.1.1 **भूमि उपादान–**इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर परियोजनाओं तथा अल्ट्रा मेगा बैटरी संयंत्रों को भूमि के सर्किल रेट अथवा क्रय मूल्य, जो भी न्यून हो, के 25 प्रतिशत् तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रोत्साहन केवल उत्तर प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि क्रय करने पर ही प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत की जाएगी।

4.1.2 इस नीति में परिभाषित वृहद् एंकर ईवीएमयू/ईबीयू तथा एमएसएमसई इकाइयों को उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति–2017 में प्राविधानित प्रोत्साहनों के समान ही प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इनमें पूंजीगत ब्याज उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, औद्योगिक गुणवत्ता उपादान, स्टॉम्प ड्यूटी एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट, राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति आदि सम्मिलित हैं।

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति–2017 के क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या–1359/77–6–17–5(एम)/17 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के प्राविधानों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त की जाएगी।

4.1.3 **वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन मोबिलिटी हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण–**इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतु वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन स्रोतों, यथा–हाईड्रोजन आधारित फ्यूल सेल्स अथवा मेथानॉल/ बायोफ्यूल आधारित फ्यूल सेल्स अथवा सौर ऊर्जा आधारित सेल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली ईबीयूज़ को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग प्रदान किया जाएगा–

4.1.3.1 **मेगा एंकर परियोजना** द्वारा उनकी विक्रेता (वेण्डर) इकाइयों (प्रथम्) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 100 प्रतिशत् प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो समान क्लस्टर में प्रति वेण्डर इकाई अधिकतम रु.50 लाख होगी।

4.1.3.2 **एंकर ईबीयूज़** द्वारा उनकी प्रथम् पाँच विक्रेता (वेण्डर) इकाइयों (प्रथम्) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 100 प्रतिशत् तथा अनुवर्ती (प्रथम् पाँच वेण्डर इकाइयों के बाद वाली) पाँच इकाइयों को

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 75 प्रतिशत् प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो समान क्लस्टर में प्रति वेण्डर इकाई अधिकतम रु.50 लाख होगी।

4.1.3.3 अल्ट्रा मेगा बैटरी संयंत्र को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत का 50 प्रतिशत्, वार्षिक रु. 10 लाख की उच्चतम सीमा तथा कुल रु. 50 लाख की अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस नीति की अवधि में इस प्रकार की केवल पाँच परियोजनाओं को इस प्रोत्साहन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

नोट 1: ये प्रोत्साहन पात्र इकाइयों को तभी अनुमन्य होंगे जब वे परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रोटोटाइप पर सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगी।

4.1.4 सेवा इकाइयों को प्रोत्साहन–

इस नीति में परिभाषित सेवा इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे–

4.1.4.1 प्रथम 1000 चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने मे जो पूंजीगत व्यय होगा (भूमि में व्यय धनराशि को छोडकर) उसका 25 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह धनराशि प्रति चार्जिंग स्टेशन से रू0 6.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

4.1.4.2 हाईड्रोजन इनेबल्ड रिफ्यूलिंग अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु– हाईड्रोजन जेनरेशन एवं फ्यूलिंग संयंत्रो की उत्तर प्रदेश में प्रथम् 10 इकाइयों की स्थापना पर स्थिर पूंजीगत निवेश (भूमि की लागत को छोड़ कर) पर 50 प्रतिशत् पूंजीगत ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में इस नीति की अवधि में रु. 50 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम समग्र सीमा के अधीन प्रदान किया जाएगा।

4.1.5 पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन–

स्थाई रूप से हरित उत्पादन विधियों को अंगीकृत करने हेतु वृहद्, एंकर ईवीएमयूज़/ ईबीयूज़ तथा सेवा इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे–

4.1.5.1 अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना–वृहद्, एंकर ईवीएमयूज़/ ईबीयूज़ द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु लिये गए ऋण पर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत् 5 वर्षों तक प्रति इकाई प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम रु. 1 करोड़ की सीमा के अधीन उपादान प्रदान किया जाएगा।

4.1.5.2 बैटरी पुनरावर्तन (रिसाइक्लिंग) हेतु—वृहद्, एंकर ईवीएमयूज़/ईबीयूज़ तथा सेवा इकाइयों द्वारा बैटरी पुनरावर्तन (रिसाइक्लिंग) हेतु उपकरण/ मशीनरी की अधिप्राप्ति हेतु लिये गए ऋण पर 50 प्रतिशत् प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों तक रु. 1 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में पूंजीगत ब्याज उपादान प्रदान किया जाएगा।

4.2 निजी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पार्क

4.2.1 उत्तर प्रदेश सरकार प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं से युक्त निजी ईवी पार्कों एवं क्लस्टर्स के विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस प्रकार का पार्क 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित किया जाना चाहिए तथा इसमें निम्नलिखित सुविधाएं सम्मिलित होनी चाहिए—

- मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र (घटक, उप—घटक, सब—असेंबली आदि)
- अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) तथा परीक्षण केन्द्र
- बैटरी मैन्युफैक्चरिंग/प्रबन्धन क्षेत्र
- सार्वजनिक सुविधाएं
- पुनरावर्तन पारिस्थितिकी तंत्र (रिसाइक्लिंग इकोसिस्टम), अपशिष्ट उपचार सुविधाएं आदि।

4.2.2 इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति—2017 में निजी औद्योगिक पार्क एवं आस्थानों हेतु निर्दिष्ट प्रोत्साहनों के समान ही निजी ईवी पार्कों एवं क्लस्टर्स को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। निजी औद्योगिक पार्क के लिए जारी प्रोत्साहन योजना शासनादेश 2860/77—6—2018—5(एम)/17टी.सी.1 दिनांक 20 जुलाई, 2018 लागू होगा।

5. अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

इस नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को न केवल हरित ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है, अपितु अगली पीढ़ी की बैटरी प्रबंधन प्रणाली, ड्राइव ट्रेन घटकों, बैटरी केमिस्ट्री, फ्यूल सेल सिस्टम तथा प्रज्ञ (Intelligent) परिवहन प्रणालियों पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास का हब बनाना भी है। इस उद्देश्य से निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे—

5.1 इन्क्यूबेशन एवं स्टार्ट—अप्स—ईवी मोबिलिटी अथवा अभिनव ईएम मॉडल्स को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केन्द्रों को तत्समय प्रचलित उ. प्र. सूचना

प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत निर्धारित प्रोत्साहनों के समान ही प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। तत्समय प्रचलित उ. प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति के अधीन सृजित स्टार्ट–अप फण्ड को भी राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयुक्त किया जाएगा।

5.2 **शैक्षिक सहयोग एवं अनुसंधान–**उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में शैक्षणिक व अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता से युक्त (स्वदेशी व विदेशी) विश्वविद्यालयों को प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों से सहयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी। इसके अन्तर्गत अगली पीढ़ी की बैटरी केमिस्ट्री, फ्यूल सेल सिस्टम, पावरट्रेन, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल रोड सिस्टम (ईआरएस) पर फोकस होगा।

5.3 **पेटेण्ट एवं गुणवत्ता प्रमाणन–**इस नीति में परिभाषित एमएसएमई इकाइयों को पेटेण्ट पंजीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणन के लिए किए गए व्यय के सापेक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता पेटेण्ट पंजीकरण प्राप्त करने हेतु व्यय के 75 प्रतिशत् तथा अधिकतम रु. 25 लाख की राशि तक सीमित होगी एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु भुगतान किए गए समस्त शुल्कों के 50 प्रतिशत् तथा अधिकतम रु. 5 लाख तक सीमित होगी।

5.4 **परीक्षण सुविधाएं–**उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु गुणवत्तापूर्ण परीक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास करेगी। यह सुविधाएं समस्त मैन्युफैक्चरर्स तथा सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध होंगी।

नोट 2: इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित पात्र ईवीएमयू, ईबीयू एवं सेवा इकाइयों को अनुमन्य प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट इत्यादि के रूप में समस्त प्रोत्साहन स्थिर पूंजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत् के अधीन होंगे तथा स्थिर पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत् की अधिकतम वार्षिक सीमा के अधीन होंगे।

6. ईवी मोबिलिटी प्रोत्साहन–

प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु मांग अभिप्रेरण तथा बाजार के सृजन के उद्देश्य से उ. प्र. सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी–

6.1 इस नीति की अवधि में उत्तर प्रदेश में निजी रूप से विनिर्मित प्रथम् 1 लाख क्रेताओं को निम्नवर्णित छूट मिलगी–

6.1.1 वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत् की छूट।

6.1.2 टू–व्हीलर ईवीज़ को रोड–टैक्स में 100 प्रतिशत् तथा अन्य ईवीज़ को रोड–टैक्स में 75 प्रतिशत् की छूट।

6.1.3 इस हेतु परिवहन विभाग द्वारा अलग से शासनादेश/अधिसूचना जारी कर क्रियान्वित किया जाएगा।

7. शर्तें

7.1 इलेक्ट्रिक वाहन इकाईयों हेतु आवश्यक समस्त समयबद्ध स्वीकृतियॉ/अनापत्तियॉ, सिंगल विण्डो सिस्टम, 'निवेश मित्र' के माध्यम से प्रदान किये जाएगें।

7.2 इलेक्ट्रिक वाहन इकाईयॉ, जो किसी अन्य नीति के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करती है, तो वे इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने की भी पात्र होंगी, बशर्ते इन इकाईयों द्वारा एक ही प्रकार का लाभ किसी अन्य नीति के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।

7.3 नियमावली में उल्लिखित सभी सुविधायें यथा प्रचलित शासनादेशों/सुसंगत नियमों के अन्तर्गत (सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली ड्यूटी/शुल्क में छूट से सम्बन्धित सुविधाओं को छोड़कर)**"नोडल संस्था"** द्वारा वितरित किया जायेगा।

7.4 **"नीति"** के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन इकाइयाँ यदि किसी कारणवश प्रभावी अवधि में सुविधायें प्राप्त कर लेती हैं किन्तु लॉजिस्टिक सेवायें तथा सहायक अवस्थापना सुविधायें नहीं विकसित कर पाती हैं तो इकाइयों को दी गयी प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट की वितरित धनराशि भू–राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा।

7.5 निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में भी संबंधित विकासकर्ता/इकाइयों को प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट देय नहीं होगा एवं विकासकर्ता/ इकाई को प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू–राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा।

7.5.1 जब कोई विकासकर्ता/इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मॉगी जाए, देने में असफल रहे।

7.5.2 जब किसी विकासकर्ता/इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवाअसत्य सूचना देकर उपादान प्राप्त किया हो।

7.5.3 जब किसी विकासकर्ता द्वारा निजी इलेक्ट्रिक वाहन पार्क प्रारम्भ करने की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के अन्तर्गत विकास कार्य स्थाई रूप से (छः माह से अधिक) बन्द कर दिया गया हो तो विकास कार्य अवरूद्ध होने के कारण सहित एक माह के अन्दर ही संबंधित नोडल संस्था को सूचना लिखित रूप से प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। नोडल संस्था द्वारा प्राधिकार प्राप्त समिति को अवगत कराते हुये प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. अन्य प्राविधान/शर्ते

8.1 **चरणबद्ध स्थापनः** इलेक्ट्रिक वाहन इकाइयों को, जो विभिन्न चरणों में परियोजना स्थापित करना चाहते है, प्रथम चरण की स्थापना से पूर्व आवेदन करना होगा।

8.2 **सूचनायें उपलब्ध कराया जानाः** सुविधाओं के वितरण की शर्तों के अनुसार, सभी पात्र इलेक्ट्रिक वाहन इकाइयों द्वारा समय समय पर आवश्यक जानकारी इकाई की बंदी, आदि स्पष्ट कारणों सहित, स्थायी पूँजी निवेश में वृद्वि का सत्यापित विवरण (यदि कोई हो), स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय/नुकसान (यदि कोई हो), एवं इकाई के संविधान में बदलाव, पात्र इकाई का अंकेक्षित लेखा विवरण और आर्थिक चिट्ठा (प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के भीतर), इत्यादि नोडल एजेन्सी अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा–अपेक्षित उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

8.3 **परियोजना के पैरामीटर्स में परिवर्तनः** इलेक्ट्रिक वाहन इकाइयों द्वारा परियोजना की प्रकृति अथवा परियोजना लागत में परिवर्तन/बदलाव, जिससे इसकी श्रेणी मे परिवर्तन उत्पन्न हो, शर्तों में परिवर्तन, इत्यादि हेतु दिये गये आवेदन का नोडल संस्था द्वारा स्वयं अथवा बाह्य सक्षम संस्था के माध्यम से परीक्षण कर "प्राधिकार प्राप्त समिति" के विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

8.4 सुविधाओं की निर्धारित सीमा (मात्रा/अवधि) पूरी होने पर अथवा नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन होने पर दी गई सुविधाओं को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

8.5 यदि इलेक्ट्रिक वाहन इकाइयों द्वारा दी गयी जानकारी/अभिलेख असत्य पाये जाते हैं अथवा भौतिक तथ्यों को छिपा कर सुविधाएं प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में स्वीकृत सुविधाएं निरस्त किये जायेगे एवं इकाइयों को वितरित की गयी सभी सुविधाओं की राशि प्रदेश के प्रचलित अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होगी।

9. प्रसंस्करण, स्वीकृति एवं वितरण की प्रकिया

9.1 **आवेदन जमा किया जाना :**नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु सभी प्रार्थना पत्र सभी आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप में नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेगें। नोडल संस्था प्रार्थना पत्रों को परीक्षण कर संस्तुति सहित विभाग को अग्रसारित करेगी। नोडल संस्था प्रार्थना पत्रों के परीक्षण हेतु उप समिति गठित कर सकती है।

9.2 **"विभाग"** द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र को **"प्राधिकार प्राप्त समिति"** के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

9.3 नोडल संस्था द्वारा प्रार्थना पत्रों की स्थिति,स्वीकृति पत्र एवं निजी विकासकर्ता/इकाइयों के प्रगति की परिवीक्षा की जायेगी।

9.4 **स्वीकृति** :मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में प्रार्थना पत्र की स्वीकृति हेतु एक **"प्राधिकार प्राप्त समिति"** का गठन किया जा रहा है, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:

(I) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
(II) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग
(III) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग
(IV) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, निबन्धन विभाग
(V) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
(VI) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग
(VII) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग
(VIII) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग
(IX) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग
(X) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग
(XI) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग
(XII) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी
(XIII) प्रबन्ध निदेशक, पिकप
(XIV) अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि जिनसे कि वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।
(XV) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण

9.5 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरणसमिति के सदस्य संयोजक होंगे। समिति की बैठक में आवेदक अथवा आवेदक के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये जायेंगे; परन्तु उनकी अनुपस्थिति से स्वीकृति की प्रकिया बाधित नहीं होगी।

9.6 **"प्राधिकार प्राप्त समिति"**द्वारा वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के पश्चात् '**नोडल संस्था**' द्वारा निर्धारित प्रारूप में '**स्वीकृति पत्र**'निर्गत किया जायेगा।

10. वितरण:

10.1 आवेदकद्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप में नोडल संस्था को प्रार्थना–पत्र देना होगा।

10.2 **"नोडल संस्था"** प्रार्थना पत्रों को संस्तुति सहित विभाग को प्रसंस्करण हेतु अग्रसारित करेगी।

10.3 दस्तावेजों को विभाग के स्तर पर परीक्षण एवं स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालनों की पुष्टि के पश्चात, प्रस्ताव को **'प्राधिकार प्राप्त समिति"** के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार विभिन्न सुविधाओं का वितरण किया जाएगा।

11. प्रशासनिक व्यय:

11.1 योजनान्तर्गत समस्त व्यय, यथा–सहमति–पत्र (एग्रीमेंट) का निष्पादन तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का वहन निजी विकासकर्ता/इलेक्ट्रिक वाहन इकाइयोंद्वारा किया जाएगा।

11.2 समस्त प्रोत्साहन धनराशि का 1.00 प्रतिशत ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक शुल्क के रूप में कटौती कर लिया जायेगा।

12. विविध :

12.1 नीति के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा आबंटित किया जायेगा। विभाग उक्त लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। वह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मॉग का प्रस्ताव करेंगें।

12.2 नीति के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात् निर्गत की जायेगी।

12.3 **'प्राधिकार प्राप्त समिति''** द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्ते व नियम इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित करने वाले निजी विकासकर्ता पर लागू होंगी।

12.4 ऐसे कोई भी अन्य मानदण्ड लागू होंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित तथा/अथवा अधिसूचित किए जाएंगे।

12.5 इस नियमावली के किसी भी अनुच्छेद के अनुपालन के सम्बन्ध में **'प्राधिकार प्राप्त समिति''** द्वारा दी गई व्यवस्था अंतिम होगी।

12.6 अन्य विभागों से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाएंगे।

12.7 योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का अधिकार **'प्राधिकार प्राप्त समिति''**को होगा।

12.8 इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन किये जाने हेतु **'प्राधिकार प्राप्त समिति''**सक्षम होगें।

12.9 इस नीति में उल्लिखित समस्त वित्तीय प्रोत्साहन संबंधित इकाई को तभी अनुमन्य होंगे जब इकाई वास्तविक रूप से क्रियाशील होकर संचालन की स्थिति में आ जायेगी।

12.10 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों मे ही वाद दायर किया जा सकेगा।

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या : 633 (1)/77–6–19–एल0सी0–02/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्राधिकार प्राप्त समिति के मा0सदस्यगण।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
12. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
13. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त उप सचिव, अनु सचिव एवं समस्त अनुभाग।
14. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया नियमावली की 1500 प्रतियॉ मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग–6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियॉ प्रेषित करने का कष्ट करें।
16. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6
17. नियोजन अनुभाग–1
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या : 633 (2)/77–6–19–एल0सी0–02/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इस नीति/नियमावली का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार–प्रसार करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डॉ0 अनिल कुमार)
विशेष सचिव।